To Construct the Path

17 (Diary No. 14/18/247) SH. SHAMSHER SINGH GOGI (Assandh):

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the approval has been taken by the department for cutting the trees falling under the area of Green belt for providing the direct path up to 110 Meter long and 9 Meter wide service lane on G.T. road in Sector 9 of Haryana Shahri Vikas Pradhikaran, Karnal; if so the time by when the departmental approval has been given togetherwith the number of trees have been cut down alongwith the details thereof;

b) the name of the person who took the initiative to made the planning to construct a direct path on the abovesaid route togetherwith the details thereof; and

c) the time period in which the proposal to construct a direct path on abovesaid route has been approved togetherwith the estimate cost arranged for said work alongwith the details thereof ?

REPLY

SH. SHAMSHER SINGH GOGI (Assandh)

a) Yes, Sir. Approval for replanting the trees or doing new plantation of two times more than the number of trees cut in this process, was conveyed by Chief Administrator, HSVP Panchkula vide his office endst. no. CTP/DTP(A)/PT/ 126936 dated 07.06.2023. Total 40 nos. trees have been cut.

b) Proposal for revision of layout plan of Sector-9, Karnal for providing 10 mtr. path upto service road to National Highway was initiated by District Town Planner, Karnal.

c) This work was allotted on 18.07.2023 with a time limit of 02 months. Approximately 60% work stands completed at site. Total expenditure of Rs.17.03 Lacs has already been incurred upto date. Balance work is held up due to orders of the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana, Chandigarh in the matter of CWP No. 22898 of 2023 (Col. Davinder Singh Rajput, Vir Chakra (Retd.) Vs State of Haryana and Ors.).

पथ निर्माण हेतु

अतारांकित प्रश्न 17 (डायरी संख्या 14/18/247) श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) क्या यह तथ्य है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल के सेक्टर 9 में जी.टी. रोड़ पर 110 मीटर तक लम्बी तथा 9 मीटर चौड़ी सर्विस लेन का सीधा मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन बेल्ट के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेड़ों को काटने की मंज़ूरी विभाग द्वारा ली गई है; यदि हां तो, विभागीय स्वीकृति कब ली गई तथा कितनी संख्या में पेड़ काटे गए हैं तथा इसका ब्यौरा क्या है;

ख) उस व्यक्ति का नाम जिसने उपरोक्त रूट पर सीधे मार्ग का निर्माण करने कि योजना बनाने की पहल की तथा इसका ब्यौरा क्या है; तथा

ग) उपरोक्त रूट पर एक सीधा रास्ता मार्ग निर्मित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने कि समय अवधि क्या है तथा क्या उक्त कार्य के लिए कितनी अनुमानित लागत की व्यवस्था की गई है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

क) हाँ, श्रीमान् जी। इन पेड़ों के पुनः-आरोपन अथवा कटने वाले पेड़ों से दोगुनी संख्या के पेड़ लगाने की अनुमति मुख्य प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. द्वारा पत्र क्रमांक सी टी पी/डी टी पी (ए)/पी टी/126936 दिनांक 07.06.2023 के माध्यम से दी गई थी। कुल 40 पेड़ों को काटा गया है।

ख) सैक्टर-9 करनाल के नक़्शे में संशोधन का प्रस्ताव जिला नगर योजनाकार, करनाल द्वारा प्रक्रिया में लाया गया था, जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस सड़क तक 10 मीटर का रास्ता प्रस्तावित था।

ग) इस कार्य को 18.07.2023 को दो माह की समयावधि के साथ आबंटित कर दिया गया था। लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पर अब तक 17.03 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। शेष कार्य को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के केस (वर्ष 2023 की सी.डब्ल्यू.पी.-22898) (कर्नल दविंदर सिंह राजपूत, वीर चक्र (सेवानिवृत्त) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) के तहत रोक दिया गया है।